बहस के दौरान वकील अनावेदक संख्या 1 ने कथन किया कि उक्त वर्णित भूमि पैत्रिक भुमि है जिसका विभाजन प्रथम बंदोबस्त के पहले से ही हो रखा था तथा प्रथम बंदाबस्त के समय बंटवारा अनुसार अलग अलग खातेदारों के नाम से राजस्व रिकार्ड कायम हुआ। आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 एक ही परिवार के सदस्य है। भूमि खसरा नम्बर 73 में बना चाह बना हुआ है जबकि उक्त चाह से आवेदक का कोई लेना देना नहीं है। जबाबदेहन्दा के पिता ने भूमि खसरा नम्बर 73, 74 में अपने खर्चे से चाह व विद्युत कनेक्शन स्थापित करवाया था जिसके बाबत् कोई विवाद नही है आवेदक ने मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। आवेदक एक चालाक व्यक्ति है जो जबाबदेहन्दा के पिता द्वारा बनाए गये चाह को हड़प करना चाहता है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के पश्चात पाते है कि उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 60, 61, 73, 74 पैत्रिक भूमि है तथा पैत्रिक भूमि में सभी वारिसान का बराबर हक व हिस्सा निहित होता है। लेकिन पत्रावली पर मौजूद जमाबंदीयों के अवलोकन से पाते है कि भूमि खसरा नम्बर 60, 61 की खातेदारी आवेदक के नाम से तथा भूमि खसरा नम्बर 73, 74 की खातेदारी अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज रिकार्ड है जबकि भूमि खसरा नम्बर 60, 61, 73, 74 मे 1/2 हिससें की खातेदारी आवेदक के नाम से तथा 1/2 हिस्सें की खातेदारी अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 के नाम से होनी चाहिए थी। अगर वर्तमान राजस्व रिकार्ड के आधार पर अनावेदकगण उक्त भूमि को बेचान कर देते है/ निर्माण कर लेते है, तो अनावश्यक मुकदमाबाजी बढेगी। अतः आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 के हक हकुकों का निर्णय वादपत्र में विधवित सुनवाई एवं साक्ष्य के आधार पर तय होना है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी आवेदक के पक्ष में होने से अपूर्णीय क्षति भी आवेदक को ही कारित होगी। आवेदक पक्ष प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित करने में सफल रहे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मूल दावा का निस्तारण होने तक ग्राम बामलास पटवार हल्का बामलास की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 60, 61, 73, 74 में मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

6/9/21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.23 12:41:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/9/21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner